आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह। (Email id-dccourt.grd@gmail.com) Mutation Revision No.–23/2025 **मो0 अल्लाउद्दीन वगै0–बनाम–मो0 अरमान एवं राज्य** आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाइ बारे मे ति तिथि सहित

25/11/25

–:आदेश:–

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह के द्वारा ऑनलाईन दाखिल खारिज अपील वाद सं0 1/2024–25 में दिनांक 26.03.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध U/s 16 of Bihar Tenant Holding (Maintenance of record) Act. 1973 के तहत Delay Condonation के साथ दायर किया गया है। कालक्षांति आवेदन पर संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई। विपक्षी को नोटिस निर्गत करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह से निम्न न्यायालय मूल अभिलेख की मांग करने का निदेश दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन एवं अपने वक्तव्यों के माध्यम से मुख्यतः अपने पक्ष में यह बात रखा गया की भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा बिना पुनरीक्षण वादी को अपना पक्ष रखने एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज दायर करने का बिना उचित अवसर दिये और बिना किसी सुसंगत धारा एवं बिना किसी न्यायिक सोच के तथ्यों पर विचार किये बिना जल्दबाजी में स्वचालित रुप से आदेश पारित किया गया।जो न्यायोचित नहीं है एवं Set-aside करने योग्य है।

विपक्षी के द्वारा लिखित जवाब एवं सूची के साथ दस्तावेज दायर करते हुए यह तर्क रखा गया की Civil न्यायालय मे बाँटवारा वाद लम्वित रहते हुए गलत वंशबली के आधार पर वादगत भूमि का बिक्री किया गया कानूनी रुप से गलत है इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश न्यायोचित एवं सही है और पुनरीक्षण वादी का आवेदन खारिज करने योग्य है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा लगान रसीद रद्द वाद 01/2024–25 में दिनांक 26.03.2025 को पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है:–

"निष्कर्ष के आधार पर यह स्पष्ट है की सयुंम खान द्वारा गलत वंशावली के आधार पर जमीन का बिक्री किया गया है। साथ ही यह मामला न्यायालय में प्रकियाधीन है।अतः सिविल

न्यायालय में दायर वाद 76/2013 में अंतिम आदेश पारित होने के पूर्व तक अंचल अधिकारी, गिरिडीह को निदेश दिया जाता है कि गिरिडीह अंचल अन्तर्गत मौजा– जरीडीह, खाता सं0 144, प्लाट सं0 1241 एवं 1242 से संबंधित विपक्षी के नाम से चल रहे जमाबंदी को रद्द करना सुनिश्चित करें।"

सम्पूर्ण अभिलेख, निम्न न्यायालय अभिलेख, सरकारी अधिवक्ता का वक्तव्यों एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क/दायर दस्तावेज/आवेदन के अवलोकन और परिशीलन के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि:–

1. निम्न न्यायालय में दायर **लगान रसीद रद्द वाद 01/2024–25 के संचालन एवं निष्पादन में** Bihar Tenant Holding (Maintenance of record) Act. 1973 में निहित प्रावधानो का आभाव है।
2. वाद में पारित आदेश का मुख्य आधार डीड के वंशावली को बनाया गया है ना की संबंधित कार्यालय के पुख्ता प्रतिवेदन को।
3. सिविल न्यायालय में प्रकियाधीन वाद के एवज में कोई निर्णय लिया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा लगान रसीद रद्द वाद 01/2024–25 में दिनांक 26.03.2025 को पारित आदेश को अपास्त करते हुए भूमि सुधार उपमसहर्त्ता गिरिडीह को पुनः सभी दस्तावेज के साथ अपीलार्थी का पक्ष सुनने तथा Bihar Tenant Holding (Maintenance of record) Act. 1973 में निहित प्रावधानों के तहत तार्किक आदेश करने हेतु इस वाद को भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह को **Remand** किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश से सभी पक्षों को अवगत करा दिया जाय।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by Ramniwas Yadav
Date: 2025.12.11 19:43:59 +05:30
Location: 192.168.101.2

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।